प्रकरण सं. 104/2000 उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज देवा V/s होकमा वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 10/1/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
10/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप./ पैरोकार सरकार उप.। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम कोटडी की आराजी नं. 419, 420, 427, 428, 728, 729, 730, 731, 735 कुल किता 9 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम कोटडी की आराजी नं. 725/2, 732, 740/2 एवं 799/2 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि की सम्वत् 2069-73 की स्थायी जमाबंदी प्रस्तुत की गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है। वादी के द्वारा भूमि का अन्तरण कर दिया गया है। अतः वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53-54-188 के अन्तर्गत वादी अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादी का खातेदार नहीं रहने के कारण अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं रहने से वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली में डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा दाखिल दफ्तर हो। 10/01/2025 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. देवा पुत्र प्रताप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. होकमा पुत्र किशना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कालू पिता किशना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. छोगा पिता किशना गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पिता प्रताप गुर्जर उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रामा पिता भैरू निवासी कोटड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् विभाजन आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 104/2000 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अंकित शर्मा उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 10.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादी का खातेदार नहीं रहने के कारण अनुतोष प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी नहीं रहने से वाद खारिज किया जाता है।

10/1/25

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा